तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.2.22	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की जिसमें निवेदन किया कि, अप्रार्थी सं० 3 के पिता घासीराम जी के जीवनकाल में दिनांक 10-05-1995 को प्रार्थी एवं विपक्षी सं० 01 व 02 व घासीराम जी के मध्य सभी संयुक्त कृषि आराजीयात खाता संख्या 413 एवं खाता संख्या 1062 का बटवाड़ा पारिवारिक सहमति से किया गया था जिसके अनुसार खाता संख्या 1062 में वर्णित आराजीयात प्रार्थी एवं विपक्षी सं० 01 व 02 के हक हिस्से में तथा खाता सं० 413 में वर्णित आराजीयात विपक्षी सं० 3 के पिता के हक हिस्से में रखी गई। घासीराम जी की मृत्यु के बाद वर्तमान में ये आराजीयात विपक्षी सं० 3 के हक हिस्से में होकर उसी अनुसार काश्त करते आ रहे हैं। सभी के नाम पर बटवाड़ा अनुसार ही दर्ज रेकार्ड चली आ रही है। माननीय न्यायालय में विपक्षी सं० 3 के द्वारा पटवारी रिपोर्ट दिनांक 02-10-2001 प्रस्तुत की जिसके अनुसार आ०नं० 3491 व 3503 के पश्चिमी हिस्से पर प्रार्थी एवं विपक्षी सं० 1 व 2 का कब्जा है तथा पूर्वी हिस्से पर विपक्षी सं० 3 का कब्जा है। विपक्षी सं० 3 के द्वारा अपने शपथ-पत्र दिनांक 27-10-2021 में बटवाड़ा दिनांक 10-05-1995 को होना स्वीकार किया है। वादग्रस्त आराजीयात पर प्रार्थी एवं विपक्षी सं० 01 व 02 का कब्जा होकर माफिक बटवाड़ा विपक्षी सं० 03 का हिस्सा अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। अत: प्रस्तुत स्थगन आवेदन स्वीकार किया जाकर वादपत्र के निस्तारण तक आ०नं० 3492, 3492/1 की मौके एवं रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये जाने का आदेश फरमाया जावे। बहस वकील अप्रार्थी सं० 03 ने निवेदन किया कि आ०नं० 3492 व 3492/1 संयुक्त खातेदारी की है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी सं० 01 व 02 का 1/2 हिस्से में बराबर-2 हक हिस्सा है परन्तु रिकॉर्ड में बरदू पिता सुखा 1/4 व रामप्रसाद पिता श्रीकिशन 1/4 पार	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
किया जबकि लक्ष्मी किशनजी के प्रार्थी व अप्रार्थी सं० 1 व 2 तीन पुत्र है खाते में प्रार्थी का नाम दर्ज नहीं हुआ तथा अप्रार्थी सं० 1 बालूराम के पिता का नाम सुखा गलत दर्ज हो गया जो दुरुस्ती योग्य है परन्तु यह वाद में निस्तारण किए जाने हेतु निवेदन किया। मुख्य अप्रार्थी को दि० 10-05-1995 को बटवाडा होने की कोई जानकारी नहीं है इस बाबत अपने जवाब में बिन्दु सं० 4 में अंकन किया है। जहाँ तक मेरे शपथ-पत्र दि० 27-10-2021 को ग्राम पंचायत में मकान का पट्टा बनाने हेतु पेश किया जिसमें 10-05-95 के बटवाडे का उल्लेख किया वह मांडल हल्का आबादी में स्थित मकान आदि के लिए वर्णन किया इसमें कृषि आराजीयात के बटवाडे का कोई वर्णन नहीं है। वाद वर्णित आराजीयात में मेरा 1/2 हिस्सा दर्ज है जो सही है एवं उक्त आराजीयात पर मेरा इसी प्रकार कब्जा काश्त भी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे। हमने बहस उभयपक्ष सुनी तथा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व संलग्न दस्तावेजों पर मनन किया। प्रार्थी का कथन है कि आपसी बटवाडे से आरा०नं० 3492 प्रार्थी व अप्रार्थी सं० 01 व 2 के हिस्से में रखी तथा 3494/1 गैरमु० चाह भी प्रार्थी व विपक्षी सं० 01 व 02 के हक में रखते हुए केवल उक्त चाह से उपयोग - उपभोग अप्रार्थी सं० 3 करता रहेगा यह तय किया परन्तु रिकॉर्ड में दर्ज होने से रह गई उक्त कथन की ताईद में प्रार्थी ने दि० 10-05-1995 के बटवाड़नामा की फोटो प्रति पेश की है जिसमें आरा०नं० 3492 व 3494/1 के सम्बन्ध में कोई अंकन नहीं है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में बताया कि दि० 10/5/95 को हुए बटवाडे अनुसार आरा०नं० 3492 व 3494/1 हमारे नाम पर अंकन होने से रह गई परन्तु अन्य	उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
	आराजीयात जो दि० 10/5/1995 के आपसी बंटवारानामा में अंकित है उन आराजीयात की जमाबन्दी प्रस्तुत करनी चाहिए परन्तु, ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया यहां तक कि आ०न० 3592/1 गैरमु० चाह की पुष्टि में अप्रार्थी सं०3 ने बिजली के बिल की प्रति व पटवारी हल्का मांडल I की रिपोर्ट दि० 30/12/2006 की फोटो प्रति पेश की जिसमें अंकित है प्रार्थी घासीराम पिता मगनीराम जाट नि० मांडल द्वारा अपनी शामलाती खातेदारी की आ०न० 3592 रकबा 2-13 बीघा में स्वयं नवीन चाह का निर्माण कर लिया है जिससे अपने परिवार की खातेदारी आराजीयात की सिंचाई करता है। बिजली का बिल भी घासीराम पिता मगनीराम जाट के नाम का है। प्रार्थी के द्वारा तथा खाता सं० 1677 की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 पेश की जिसमें आ०न० 3592 व 3592/1 बालूराम पिता सुखा 1/5 जाट, रामप्रसाद पिता श्रीकिशन 1/5 जाट व रामेश्वर पिता घासीराम 1/2 जाट सा० देह खातेदान एवं नवीन खाता सं० 1097 की नकल ग्राम मांडल की सम्वत् 2074 से 2077 में दर्ज आ०न० 3593-3594-3596-3598-3508-3759-4031 अंवा की कुई-5110-5483 बालूराम पिता श्रीकिशन 1/6 जाट रामप्रसाद पिता श्रीकिशन 1/6 जाट, रामेश्वर लाल पिता घासीराम 1/2 जाट व रामस्वरूप पिता श्रीकिशन 1/6 जाट सा० देह खातेदान दर्ज है। इस प्रकार आराजीयात संयुक्त खातेदारी की है। प्रार्थी की वाद वर्णित आराजीयात व विपक्षी सं० 1 व 2 की वाद वर्णित आराजीयात तन्हा स्वामित्व की होने से सम्बन्धित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं। इस प्रकार ग्राम मांडल की आ०न० 3592 व 3592/1 प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं० 01 लगायत 03 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की होना राजस्व	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

रिकॉर्ड से सिद्ध होता है जिसमें अप्रार्थी नं० 03 का ½ हक हिस्सा दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बटवाड़ानामा दि० 10.05.1995 पर प्रार्थनापत्र में किसी भी स्तर से निर्णय हेतु ग्राह्य नहीं किया जा सकता है इसे मूल वाद के निस्तारण के समय देखा जाएगा। प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र की पुष्टि में अपने स्वयं की कब्जे की वाद वर्णित आराजीयात हो इस बाबत दस्तावेज पेश करने में असफल रहा है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है। आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा